BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 691 OF 2022

IN THE MATTER OF

RAMA SHANKER AWASTHI ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particular	Page No.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 UTTAR PRADESH GROUND WATER DEPARTMENT, (LAKHIMPUR KHERI)	
2.	**ANNEXURE 1** Copy of Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulations) Act, 2019	
3.	**ANNEXURE 2** Copy of the Notification No. 1320/62-1-2019-10 GW-2014, dated 13.11.2019.	
4.	**ANNEXURE 3** Copy of the notification no. 58/76-3-2020/10 GW/2014, dated 21.01.2020	
5.	**ANNEXURE 4** Copy of the letter dated 03.10.2020	
6.	**ANNEXURE 5** Copy of the Letter dated 25.02.2021	
7.	**ANNEXURE 6**	

	Copy of the order of District Magistrate, District Lakhimpur Kheri	
8.	**ANNEXURE 7** Copy of the letter dated 05.12.2024	
9.	**ANNEXURE 8.1, 8.2, and 8.3** Copy of No Objection Certificate (NOC) issued to M/s Bajaj Hindustan Sugar Ltd	
10.	**ANNEXURE 9** Copy of Evidence related to acquisition of pond	
11.	**ANNEXURE 10** Copy of the Audit report prepared by Resource Conservation and Management Division, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)	
12.	**ANNEXURE 11** Copy of the Impact assessment report prepared by Dr. Rajeev, Scientist/Team Leader Directorate of Research Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (CGWA, GoI Nominated representative.	
13.	**ANNEXURE 12** Copy of the No Objection (CTO) Certificate from the Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
14.	**ANNEXURE 13.1, 13.2 and 13.3** Copy of No Objection Certificate (NOC) Issued to M/s Bajaj Energy Ltd	
15.	**ANNEXURE 14** Copy of evidence related to acquisition of pond	
16.	**ANNEXURE 15**	

	Copy of the water audit report has been prepared by PHD Chambers of Commerce and Industries, New Delhi (an institution nominated by Central Ground Water Authority, Government of India).	
17.	**ANNEXURE 16** Copy of the Impact Assessment Report prepared by Shri Veeksha Pugazhendi (representative nominated by Central Ground Water Authority, Government of India).	
18.	**ANNEXURE 17** Copy of (CTO) from Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
19.	**ANNEXURE 18** Copy of the Ground Water Assessment Report -2023	
20	**ANNEXURE 19 & 20** Copy of the details of Development blocks and the Report classified as in the safe category.	

Respondent No.-3
(Director, Ground Water Department /Member Secretary,
State Ground Water Management
and Regulatory Authority,
Uttar Pradesh)

Through

Gigi C. George Advocate
Standing Counsel (UOI)
Ch. No. 457, Lawyers Block,
DHC, New Delhi
Gigicgeorge.adv42@yahoo.in
M-9810625315

5431

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP67285600740711X

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP67285600740711X**
Certificate Issued Date	:	31-May-2025 01:44 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14655204/ LAKHIMPUR SADAR/ UP-LKM
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14655204321440064409 41X
Purchased by	:	SHYAM SUNDAR YADAV SON OF RADHE SHYAM YADAV
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHYAM SUNDAR YADAV SON OF RADHE SHYAM YADAV
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHYAM SUNDAR YADAV SON OF RADHE SHYAM YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

IN-UP67285600740711X

NOTARY
Sanjay Singh
Advocate
CIVIL COURT
Lakhimpur-Kheri (U.P.)
Reg. No.-3914
Dt. 14-03-2007
up to 13-03-2027
GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY
Sanjay Singh
Advocate
CIVIL COURT
Lakhimpur-Kheri (U.P.)
Reg. No.-3914
Dt. 14-03-2007
up to 13-03-2027
GOVT. OF INDIA

ATTESTED

31/05/25

Attach Affidavit

Sanjay Singh
NOTARY Advocate
Civil Court Lakhimpur-Kheri

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHYAM SUNDAR YADAV SON OF RADHE SHYAM YADAV SHYAM SUNDAR YADAV SON OF RADHE SHYAM YADAV

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 691/2022 रमाशंकर अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में विपक्षी पार्टी संख्या–03 की ओर से अनुपालन आख्या।

1–यह है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 691/2022 रमाशंकर अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 अधिकरण का आदेश दिनांक 07.11.2024 पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

"2. When the order dated 21.12.2023 was passed the Respondents No. 1 and 3 were not represented. It has been pointed out that no notice to those respondents has been issued subsequently.

3. Let the notice be issued to the respondents not represented today The Applicant is directed to serve the said respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

4. List on 24.02.2025."

2– यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई हेतु अगामी तिथि दिनांक 24.02.2025 नियत की गयी है।

3– यह कि प्रदेश में भूगर्भ जल के संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किये जाने के दृष्टिगत "उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019" दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से लागू किया गया है। **(संलग्नक–1)**

4– यह कि प्रदेश में उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1320/62–1–2019–10जीडब्लू–2014, दिनांक 13.11.2019 **(संलग्नक–2)** द्वारा प्रदेश में "उत्तर प्रदेश राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन विनियामक प्राधिकरण" के गठन किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी।

5– यह कि प्रदेश में उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या 58/76–3–2020/10जीडब्लू/2014, दिनांक 21.01.2020 **(संलग्नक–3)** द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद" के गठन किये जाने की अधिसूचना निर्गत की गयी।

6– यह कि अधिसूचना दिनांक 21.01.2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के अनुमोदन के क्रम में जिला विकास अधिकारी के पत्र संख्या 425/ल0सि0/भू0ज0प्र0प0/2020–21, दिनांक 03.10.2020 **(संलग्नक–4)** द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में "जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद" का गठन किया गया। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद" के द्वारा भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन/नवीनीकरण, शिकायतों के निवारण आदि कार्य किया जाता है।

7– यह कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में निहित सेवाओं यथा कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के

NOTARY Sanjay Singh Advocate CIVIL COURT Lakhimpur-Kheri Reg. No.-3914 Dt. 14-03-2017 up to 13-03-2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

Sanjay Singh NOTARY Advocate Civil Court Lakhimpur-Kheri

पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन/नवीनीकरण आदि कार्यों के पारदर्शितापूर्ण क्रियान्वयन हेतु विकसित वेब पोर्टल (upgwdonline.in) के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जनपद स्तर पर जनपदवार नोडल अधिकारी नामित किये गये है।

8– यह कि अधिनियम–2019 के सुचारु रुप से संचालन हेतु विकसित वेब पोर्टल (**upgwdonline.in**) के माध्यम से कूपों के पंजीकरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आदि सम्बन्धित आवेदनों के निस्तारण से पूर्व स्थलीय सत्यापन किये जाने हेतु निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0 के पत्रांक संख्या 23/यू0पी0रा0भू0ज0प्र0वि0प्रा0, दिनांक 25.02.2021 (**संलग्नक–5**) द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को उक्त आदेशों के अनुपालन में 'टास्क फोर्स' के गठन किये जाने के आदेश निर्गत गये हैं।

9– यह की उक्त आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, जनपद लखीमपुर खीरी के आदेश संख्या 39/ल0सिं0/भू0ज0प्र0प0/2020–21 दिनांक 06.05.2021 के द्वारा जनपद स्तर पर आवेदनों के निस्तारण से पूर्व स्थलीय सत्यापन किये जाने हेतु "टास्फ फोर्स" का गठन (**संलग्नक–6**) किया गया है।

10– यह कि मा0 अधिकरण के उक्त पारित आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 1316/भू0ज0वि0/एस–26 (एन0जी0टी0), दिनांक 05.12.2024 (**संलग्नक–7**) के द्वारा विपक्षी पार्टी संख्या–3 की ओर से विभागीय अनुपालन आख्या तैयार किये जाने, प्रकरण की जॉच हेतु जनपद लखीमपुर खीरी में चलित फर्मो के संबंध में विभाग का प्रतिनिधितत्व किये जाने एवं वाद में वांछित मंतव्य/शपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु नोडल अधिकारी, जिला भूगर्भ जल प्रबन्ध परिषद, जनपद लखीमपुर खीरी को नामित किया गया है।

11– यह कि निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 1316/भू0ज0वि0/एस–26 (एन0जी0टी0), दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन में एवं ओ0ए0 सं0 691/2022 के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा वांछित तथ्यों की जॉच किये जाने हेतु जनपद में गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 19.02.2025 को मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड एवं बजाज एनर्जी लिमिटेड ,ग्राम खम्भारखेड़ा विकासखण्ड फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर खीरी के स्थलों का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन किया गया।

12– यह कि गठित टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 19.02.2025 को जनपद लखीमपुर खीरी में चालित फर्म मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 एवं बजाज एनर्जी लि0 को भूजल निष्कर्षण हेतु निर्गत अनापत्ति पत्र पर अंकित शर्तो का अनुपालन फर्म द्वारा किया जा रहा है अथवा नही, की जॉच हेतु स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया, जिसकी सत्यापन आख्या निम्नवत् है :–

12 (1)(क)–<u>फर्म मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 को भूजल निष्कर्षण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्थिति–</u>

- मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, ग्राम खम्भारखेड़ा, विकासखण्ड फूलबेहड़, लखीमपुर खीरी द्वारा 03 बोरवेल के माध्यम से भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा फर्म को भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्तियां (एन0ओ0सी0) (संलग्नक–8.1, 8.2, 8.3) निर्गत की गयी है जिनका विवरण निम्नवत् है:–

NOTARY Sanjay Singh Advocate CIVIL COURT Lakhimpur-Kheri (U.P.) Reg. No.-3914 Dt. 14-03-2007 up to 13-03-2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED 31/05/25

Sanjay Singh NOTARY Advocate Civil Court Lakhimpur-Kheri

Shyam Sunder Yadav

क्र0सं0	एन0ओ0सी0 संख्या	एन0ओ0सी0 की वैधता	अधिकतम भूजल निष्कर्षण की मात्रा
1	NOC043004	दिनांक 22.06.2021 से दिनांक 21.06.2026	72000 घनमीटर प्रति वर्ष
2	NOC033242	दिनांक 22.06.2021 से दिनांक 21.06.2026	72000 घनमीटर प्रति वर्ष
3	NOC028922	दिनांक 22.06.2021 से दिनांक 21.06.2026	72000 घनमीटर प्रति वर्ष
03 बोरववेल के माध्यम से कुल भूजल निष्कर्षण की मात्रा			216000 घनमीटर प्रति वर्ष

12(1)(ख)–फर्म को निर्गत अनापत्ति के सापेक्ष शर्तो का अनुपालन– फर्म को भूजल निष्कर्षण हेतु मात्र 03 निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों पर अंकित शर्तो के अनुपालन कराये जाने की जॉच में निम्नलिखित तथ्य दर्शित हुएः–

- फर्म मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, ग्राम खम्भारखेड़ा, विकासखण्ड–फूलबेहड़, जनपद–लखीमपुर खीरी में स्थित है।
- फर्म में कुल 03 बोरवेल स्थापित है, जिसमें प्रत्येक बोरवेल की गहराई लगभग 91.46 मीटर, 96.00 मीटर एवं 140.35 मीटर व चालित तीनो मोटर की क्षमता 60–60 HP है।
- फर्म में जॉच के दौरान तीनो बोरवेल द्वारा क्रमशः 170.60 घनमीटर प्रति घण्टा, 117.10 घनमीटर प्रति घण्टा, 76.43 घनमीटर प्रति घण्टा का डिस्जार्च पाया गया।
- ग्राम खम्भारखेड़ा विकासखण्ड फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर खीरी में किसी भी प्रकार से पाइप लाइन शुद्ध जल/शोधित जलापूर्ति नही की जा रही है।
- फर्म द्वारा कुल 03 बोरवेल के माध्यम से भूगर्भ जल के सापेक्ष वर्षा जल संचयन की प्रणाली की स्थापना की गयी है।
- फर्म के परिक्षेत्र में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के अनुसार कुल लगभग 6016.50 घनमीटर प्रतिवर्ष भूजल संचयन का कार्य किया जा रहा है एवं स्थलीय सत्यापन के समय वर्षा जल संचयन प्रणाली क्रियाशील अवस्था में पायी गयी।
- फर्म के प्रतिनिधि श्री अमित सिंह, (पर्यावरण विशेषज्ञ) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा भूजल संचयन हेतु ग्राम खम्भारखेड़ा के आस–पास के क्षेत्र में दो तालाबो को गोद लिया गया है, जिसके द्वारा लगभग 2.19 हेक्टयर क्षेत्रफल आच्छादित है, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के अनुसार लगभग 118416 घनमीटर प्रति वर्ष भूजल का संचयन का कार्य किया जा रहा है। **(संलग्नक–09 : तालाब के अधिग्रहण सम्बन्धित साक्ष्य)**
- अतएव फर्म द्वारा कुल भूजल निष्कर्षण के सापेक्ष वांछित भूजल संचयन की स्थिति–

  फर्म को 03 बोरवेल के माध्यम से कुल 216000 घनमीटर प्रति वर्ष भूजल निष्कर्षण की अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा कुल 148973 घनमीटर प्रति वर्ष की मात्रा का ही भूजल निकाला

NOTARY Sanjay Singh Advocate CIVIL COURT Lakhimpur-Kheri (U.P.) Reg. No.-3914 Dt. 14-03-2007 up to 13-03-2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

Sanjay Singh NOTARY Advocate Civil Court Lakhimpur-Kheri

Shyamsunder Yadav

जा रहा है। फर्म द्वारा 02 रुफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली एवं 02 तालाब के माध्यम से कुल 124432.51 घनमीटर प्रतिवर्ष रिचार्ज किया जा रहा है।

- फर्म द्वारा 02 पीजोमीटर (डी0डब्लू0एल0आर0 युक्त) स्थापित किये गये है, जॉच के समय फर्म में स्थापित पीजोमीटर के आकंड़े निम्नवत् है –

पीजोमीटर–1 भूजल स्तर 2025 पोस्ट मानसून 2.52 मीटर

पीजोमीटर–2 भूजल स्तर 2025 पोस्ट मानसून 2.26 मीटर

- भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल स्तर मापन हेतु स्थापित विभागीय पीजोमीटर (मॉनीटरिंग वेल) के माध्यम से जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखण्ड फूलबेहड़ में प्री एवं पोस्ट मानसून के भूजल स्तर की वर्षवार औसतन भूजल स्तर का आकलन भी किया गया, जिसमें वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में दर्ज औसतन भूजल स्तर का विवरण **तालिका–01** पर निम्नवत् है :–

<u>तालिका–01</u>

वर्ष	प्री–मानसून (मीटर में)	पोस्ट मानसून (मीटर में)
2021	3.20	2.40
2022	3.35	2.05
2023	3.43	2.95

- फर्म को प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तो के अनुपालन में **वाटर ऑडिट रिपोर्ट**, रिसोर्स कन्जर्वेसन एण्ड मैनेजमेन्ट डिवीजन, फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग नई दिल्ली (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नामित संस्था) द्वारा तैयार करायी गयी है एवं समिति द्वारा वाटर आडिट रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त पाया गया कि निर्गत रिपोर्ट CGWA, MoJS, GOI के मानकों के अन्तर्गत तैयार की गयी है। (संलग्नक–10)
- फर्म को प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र में निहित शर्तो के अनुपालन में **प्रभाव आंकलन रिपोर्ट** डा0 राजीव साइंटिस्ट/टीम लीडर डायरेक्ट्रेट आफ रिसर्च चन्द्र शेखर आजाद यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलोजी कानपुर (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि) द्वारा तैयार करायी गयी है एवं समिति द्वारा प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त पाया गया कि निर्गत रिपोर्ट CGWA, MoJS, GOI के मानकों के अन्तर्गत तैयार की गयी है। (संलग्नक–11)
- फर्म द्वारा अपशिष्ट जल हेतु 1260 KLD क्षमता का 01 ई0टी0पी0 (Effluent Treatment Plant) स्थापित है। साथ ही 100 KLD क्षमता के 01 एस0टी0पी0 (Sewage Treatment Plant) स्थापित किया गया है।
- फर्म द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति (CTO) प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। जिसकी वैधता दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक है। (संलग्नक–12)

टिप्पणी– उक्त से स्पष्ट है कि फर्म द्वारा मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, ग्राम खम्भारखेड़ा, विकासखण्ड फूलबेहड़, लखीमपुर खीरी को 03 बोरवेल के माध्यम से वर्तमान समय मे किये जा रहे

NOTARY Sanjay Singh Advocate CIVIL COURT Lakhimpur-Kheri Reg. No. 3914 Dt. 14-03-2007 up to 13-03-2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED 31/05/25

Sanjay Singh NOTARY Advocate Civil Court Lakhimpur-Kheri

Shyam Sundar Yadav

148973 घनमीटर भूजल निष्कर्षण के सापेक्ष आवश्यक 50 प्रतिशत से अधिक 124432.51 घनमीटर भूजल का रिचार्ज करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित शर्तो का पालन किया जा रहा है।

11 (2)(क)–फर्म मैसर्स बजाज एनर्जी लि0 को भूजल निष्कर्षण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्थिति–मैसर्स बजाज एनर्जी लि0, विकासखण्ड फूलबेहड़, ग्राम खम्भारखेड़ा, लखीमपुर खीरी द्वारा 03 बोरवेल के माध्यम से भूजल निष्कर्षण किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष जिला परिषद्, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा फर्म को अनापत्तियां (एन0ओ0सी0) (संलग्नक–13.1, 13.2, व 13.3) निर्गत की गयी है। फर्म को निर्गत अनापत्तियों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	एन0ओ0सी0 संख्या	एन0ओ0सी0 की वैधता	एन0ओ0सी0 द्वारा अधिकतम भूजल निष्कर्षण की मात्रा
1	NOC020026	दिनांक 25.07.2021 से दिनांक 24.07.2026	378000 घनमीटर प्रति वर्ष
2	REG045173	दिनांक 25.07.2021 से दिनांक 24.07.2026	972000 घनमीटर प्रति वर्ष
3	REG012934	दिनांक 25.07.2021 से दिनांक 24.07.2026	756000 घनमीटर प्रति वर्ष
03 बोरववेल के माध्यम से कुल भूजल निष्कर्षण की मात्रा			2106000 घनमीटर प्रति वर्ष

11(2)(ख)–फर्म को निर्गत अनापत्ति के सापेक्ष शर्तो का अनुपालन– फर्म को भूजल निष्कर्षण हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्रों पर अंकित शर्तो के अनुपालन कराये जाने की जॉच में निम्नलिखित तथ्य दर्शित हुए:–

- फर्म मैसर्स बजाज एनर्जी लि0, ग्राम खम्भारखेड़ा, विकासखण्ड–फूलबेहड़, जनपद–लखीमपुर खीरी में स्थित है।
- फर्म द्वारा कुल 03 बोरवेल स्थापित है, जिसमें प्रत्येक बोरवेल की गहराई लगभग 110 मीटर व चालित तीनो मोटर की क्षमता 25–25 HP है।
- फर्म में जॉच के दौरान तीनों बोरवेल द्वारा 117 घनमीटर प्रति घण्टा, 171 घनमीटर प्रति घण्टा एवं 142 घनमीटर प्रति घण्टा का डिस्जार्च पाया गया।
- ग्राम खम्भारखेड़ा विकासखण्ड फूलबेहड, जनपद लखीमपुर खीरी में किसी भी प्रकार से पाइप लाइन शुद्ध जल/शोधित जलापूर्ति नही की जा रही है।
- फर्म द्वारा कुल 03 बोरवेल के माध्यम से भूगर्भ जल के सापेक्ष वर्षा जल संचयन की प्रणाली की स्थापना की गयी है।
- फर्म के परिक्षेत्र में 03 रुफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के अनुसार कुल 67067 घनमीटर प्रतिवर्ष भूजल संचयन का कार्य किया जा रहा है एवं स्थलीय सत्यापन के समय वर्षा जल संचयन प्रणाली क्रियाशील अवस्था में पायी गयी।
- फर्म के प्रतिनिधि श्री अमित सिंह, (पर्यावरण विशेषज्ञ) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा भूजल संचयन हेतु आस–पास के क्षेत्र में 07 तालाब को गोद लिया गया है, जिसके द्वारा लगभग 27.019 हेक्टयर क्षेत्रफल आच्छादित किया गया है, जिसके माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के

NOTARY Sanjay Singh Advocate CIVIL COURT Lakhimpur-Kheri (U.P.) Reg. No.-3914 Dt. 14-03-2007 up to 13-03-2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED

Sanjay Singh Notary Advocate Civil Court Lakhimpur Kheri

अनुसार कुल 486342 घनमीटर प्रति वर्ष भूजल का संचयन का कार्य किया जा रहा है। **(संलग्नक–14 तालाबों के अधिग्रहण सम्बन्धित साक्ष्य)**

- अतएव फर्म द्वारा कुल भूजल निष्कर्षण के सापेक्ष वांछित भूजल संचयन की स्थिति– फर्म को 03 बोरवेल के माध्यम से कुल 2106000 घनमीटर प्रति वर्ष भूजल निष्कर्षण की अनुमति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार कुल 1035984 घनमीटर प्रति वर्ष भूजल निकाला जा रहा है। फर्म द्वारा 03 रुफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली एवं 07 तालाब के माध्यम से कुल 553409 घनमीटर प्रतिवर्ष रिचार्ज किया जा रहा है।
- फर्म द्वारा 02 पीजोमीटर (डी0डब्लू0एल0आर0 युक्त) स्थापित किये गये है, जॉच के समय फर्म में स्थापित पीजोमीटर के आकंड़े निम्नवत् है –

  पीजोमीटर–1 भूजल स्तर 2025 पोस्ट मानसून 3.83 मीटर

  पीजोमीटर–2 भूजल स्तर 2025 पोस्ट मानसून 3.75 मीटर

- भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूजल स्तर मापन हेतु स्थापित विभागीय पीजोमीटर (मॉनीटरिंग वेल) के माध्यम से जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखण्ड फूलबेहड़ में प्री एवं पोस्ट मानसून के भूजल स्तर की वर्षवार औसतन भूजल स्तर का आकलन भी किया गया, जिसमें वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में दर्ज औसतन भूजल स्तर का विवरण **तालिका–02** पर निम्नवत् है :–

<u>तालिका–02</u>

वर्ष	प्री–मानसून (मीटर में)	पोस्ट मानसून (मीटर में)
2021	3.20	2.40
2022	3.35	2.05
2023	3.43	2.95

- फर्म को प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में निहित शर्तो के अनुपालन में **वाटर ऑडिट रिपोर्ट**, पी0एच0डी0 चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री पी0एच0डी0 हाउस, 4/2 सिरी इन्स्टीटयूटनल एरिया अगस्त क्रान्ति मार्ग,नई दिल्ली (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नामित संस्था) द्वारा तैयार करायी गयी है एवं समिति द्वारा वाटर आडिट रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त पाया गया कि निर्गत रिपोर्ट CGWA, MoJS, GOI के मानकों के अन्तर्गत तैयार की गयी है। **(संलग्नक–15)**
- फर्म को प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र में निहित शर्तो के अनुपालन में **प्रभाव आंकलन रिपोर्ट** श्री राजपाल सिंह (केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि) द्वारा तैयार करायी गयी है एवं समिति द्वारा प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के परीक्षण उपरान्त पाया गया कि निर्गत रिपोर्ट CGWA, MoJS, GOI के मानकों के अन्तर्गत तैयार की गयी है। **(संलग्नक–16)**
- फर्म द्वारा अपशिष्ट जल हेतु 980 KLD क्षमता का 01 ई0टी0पी0 (Effluent Treatment Plant) स्थापित है। साथ ही 100 KLD छमता के 01 एस0टी0पी0 (Sewage Treatment Plant) स्थापित किया गया है।
- फर्म द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति (CTO) प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2025 तक है। **(संलग्नक–17)**

NOTARY Sanjay Singh Advocate CIVIL COURT Lakhimpur-Kheri (U.P.) Reg. No.-3914 Dt. 14-03-2007 up to 13-03-2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED 31/05/25

Sanjay Singh NOTARY Advocate Civil Court Lakhimpur-Kheri

टिप्पणी– उक्त से स्पष्ट है कि फर्म द्वारा मैसर्स बजाज एनर्जी लि0, ग्राम खम्भारखेड़ा, विकासखण्ड फूलबेहड़, लखीमपुर खीरी को 03 बोरवेल के माध्यम से वर्तमान समय मे किये जा रहे 1035984 घनमीटर भूजल निष्कर्षण के सापेक्ष आवश्यक 50 प्रतिशत से अधिक 553409 घन मीटर भूजल का रिचार्ज करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित शर्तो का पालन किया जा रहा है।

16– यह कि टास्क फोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन उपरान्त भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं विभाग द्वारा तैयार की गयी भूजल आंकलन रिपोर्ट–2023 (संलग्नक–18) के आंकडों का अध्ययन किया गया जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी में भूजल संसाधन की स्थिति निम्नानुसार है :–

उपलब्ध भूजल संसाधन की कुल मात्रा	–210029.82 हे0मी0
सभी स्रोतों से भूजल निष्कर्षण योग्य भूजल की मात्रा	–127682.08 हे0मी0
सिचांई कार्य में भूजल निष्कर्षण	–115315.84 हे0मी0
औद्योगिक क्षेत्र में भूजल निष्कर्षण	–225.55 हे0मी0
घरेलू क्षेत्र में भूजल निष्कर्षण	–12140.68 हे0मी0

- उपलब्ध भूजल संसाधन आकडों से स्पष्ट है कि जनपद लखीमपुर खीरी में सभी स्रोतों से भूजल निष्कर्षण की कुल मात्रा 210029.82 हे0मी0 है। कुल भूजल निष्कर्षण में सिचांई कार्य हेतु भूजल निष्कर्षण 115315.84 हे0मी0 तथा औद्योगिक क्षेत्र में भूजल निष्कर्षण 225.55 हे0मी0 है। स्पष्ट है कि जनपद में कृषि क्षेत्र में कुल उपयोग में लाये जाने वाले भूजल के सापेक्ष औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल संसाधन की कुल उपयोगिता अत्यन्त अल्प है।
- जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत कुल 15 विकासखण्ड स्थित है। (संलग्क–19) भूजल संसाधन आकलन–2023 की रिपोर्ट के अनुसार विकासखण्ड फूलबेहड़ एवं अन्य समस्त विकासखण्ड सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये है। यह भी सूचनीय है वर्ष 2021 व 2022 (संलग्नक–20) के वाटर लेवल के अनुसार भी विकासखण्ड फूलबेहड़ सुरक्षित श्रेणी में ही वर्गीकृत था।

17– यह है कि ओ0ए0 सं0 691/2022 रमाशंकर अवस्थी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 की याचिका के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 व मैसर्स बजाज एनर्जी लि0 की जनपद लखीमपुर खीरी में संचालित इकाईयों के संबंध में पार्टी संख्या 03 की ओर से वांछित सम्बन्धित अनुपालन आख्या संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

Shyam Sunder Yadav

विपक्षी पार्टी संख्या–03 की ओर से
(निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, उ0प्र0।)

NOTARY
Sanjay Singh
Advocate
CIVIL COURT
Lakhimpur-Kheri (U.P.)
Reg. No.-3914
Dt. 14-03-2007
up to 13-03-2027
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
31/05/25
Sanjay Singh
NOTARY Advocate
Civil Court Lakhimpur-Kheri

5439

सत्यापन

मै श्याम सुन्दर शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन पूर्णतः सत्य है और इसमे कोई भी तथ्य छुपया नही गया है। यदि उपरोक्त में से कोई कथन असत्य पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

NOTARY
Sanjay Singh
Advocate
CIVIL COURT
Lakhimpur-Kheri (U.P.)
Reg. No.-3914
Dt. 14-03-2007
up to 13-03-2027
GOVT. OF INDIA

दिनांक

हस्ताक्षर शपथकर्ता Shyam Sundar Yadav

Certified that Sri........ Shyam Sundar yadav
who is identified by Sri........
to day at........ A.M./P.M. has stated
on oath that the Contents of the affidavit
are true and Correct and nothing is false
I have under stood the matter of affidavit

I Know & Identify to Above Person
has Sign /L T I before me

ATTESTED

31/03/28

Sanjay Singh
NOTARY Advocate
Civil Court Lakhimpur-Kheri